बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सर्वेक्षण

बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी की

मास्टर ऑफ एजूकेशन उपाधि

की आंशिक पूर्ति हेतु

प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

निर्देशक-

डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि

द्वारा-

उमाकान्त

(बी०एस-सी०, बी०एड०)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

अतर्रा (बाँदा)-210201

1997-1998

Scanned by CamScanner

आभार

सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक डा० अमरनाथ दत्त गिरि, प्रवक्ता शिक्षक शिक्षा विभाग अतर्रा महाविद्यालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना कुशल निर्देशन देने के साथ ही इस लघु शोध प्रबंध को लिखने में मेरी अविस्मरणीय सहायता की।

मैं डा० डी०एस० श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके आशीर्वाद व उत्साहवर्द्धन से यह प्रबंध पूरा हुआ है।

मैं अपने विभाग के अन्य सभी गुरूजनों का भी हृदय से आभारी हूं जिन्होंने मुझे सदैव प्रेरणा दी है।

अन्त में मैं उन सभी लेखकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके लेखों से मुझे अपने प्रबंध को लिखने में सहायता मिली है।

दिनांकः 11.5.99

उमाकान्त

(उमाकान्त)

Scanned by CamScanner

प्रमाण - पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री उमाकान्त, छात्र एम0 एड0 (1997-98) ने "बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सर्वेक्षण" शीर्षक से अपना लघु शोध प्रबंध मेरे निर्देशन में पूरा किया है।

मैं इनके द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध का मूल्यांकन करने की संस्तुति करता हूँ।

(डा0 अमरनाथ दत्त गिरि)
Dr. Amarnath Dutt Giri
Lecturer in Education प्रवक्ता
ATARRA P.G COLLEGE
ATARRA, BANDA (U.P.)

दिनांक : 12.5.99

Scanned by CamScanner

तालिका सूची

Scanned by CamScanner

विषय सूची

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

अध्याय–1

प्रस्तावना

Scanned by CamScanner

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1. शिक्षा का अर्थ :

शिक्षा का मूल उद्देश्य है "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात विद्या या शिक्षा वह है जो मुक्ति दे। शिक्षा का प्रयोजन है मानसिक विकास, सोचने विचारने का क्षेत्र विस्तृत होना, बड़े स्वार्थ के लिये छोटे स्वार्थ का त्याग, परिवार के लिये किसी एक सदस्य का या राष्ट्र के लिये किसी एक जिले का हित न देखना, पड़ोसी के दुःख-दर्द में सहायता करना, हाथ बटाना। दूसरे शब्दों में शिक्षा का अर्थ है प्राणि मात्र के लिये संवेदनशील बनना, उनके सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानना और तदनुरूप व्यवहार करना। सामान्यतया शिक्षा प्राप्ति से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तार्किक आदि दृष्टि से अधिक सक्षम बनता है। एक समय था जब समाज के मुट्ठी भर लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। क्या इसे उनका मुट्ठी भर लोगों का शिक्षा पर विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता। पर आज इस संकुचित विचार में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया है।

1.2. शिक्षा की बढ़ती ललक :

शिक्षा की ललक या भूख जन साधारण में पिछले पचास वर्षों में बेतहाशा बढ़ी है। हर माता - पिता आज अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है। वे स्वयं एक या अन्य कारण से न पढ़ सके परंतु अपनी संतान को शिक्षित देखना

Scanned by CamScanner

उनका प्रिय स्वप्न बन गया है। एक अनुभव के अनुसार 21 वीं शताब्दी के प्रारंभ में यदि शिक्षा के विस्तार के सघन प्रयास नहीं किये गये तो विश्व जनसंख्या के आधे निरक्षर लोग भारत में होंगे। इस निरक्षरता के कलंक से मुक्ति पाने के लिये हर पांच मिनट में 210 विद्यार्थियों के लिये एक नया प्राथमिक विद्यालय खोलते रहना होगा। यह एक प्रकार की गणना है जो शैक्षिक विचारकों को चौंकाने वाली हो सकती है, पर वास्तविकता है।

1.3. शिक्षा की आवश्यकता :

भारत विश्व के प्राचीनतम सभ्य देशों में से एक है।अति प्राचीनकाल से यहां शिक्षा व्यवस्था के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। प्रारंभ में मुद्रण की सुविधा के अभाव के कारण संचित ज्ञान को कंठस्थीकरण द्वारा उत्तरोत्तर पीढ़ियों को सम्प्रेषित करने की परम्परा प्रचलित रही तथा कालान्तर में पढ़ना, लिखना तथा साधारण गणित (थ्री आर्स) सिखाने पर बल दिया जाने लगा। शासक वर्ग तथा समाज की समकालीन प्रवृत्तियों के अनुकूल शिक्षा नीति में परिवर्तन होते रहे और गुरूकुल परम्परा के संस्कृत विद्यालयों , अरबी मदरसों, महाजनी विद्यालयों आदि के दौर से गुजरते हुये अंग्रेजी या पश्चिमी पद्धति की शिक्षा का प्रचलन हुआ। ज्ञान-विज्ञान की आधुनिक शिक्षा तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की दृष्टि से पश्चिमी पद्धति की शिक्षा का स्वरूप निःसन्देह राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन आदि प्रबुद्ध भारतीयों को प्रासंगिक एवं समयानुरूप लगा और वे इसके प्रबल पक्षधर बने। महात्मा गांधी जैसे विचारकों के अवश्य ही इसको भारतीय समाज की अपेक्षाओं तथा

Scanned by CamScanner

आकांक्षाओं के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता समझी और उसी के अनुरूप बुनियादी शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात चिकित्सा, प्रौद्योगिकी व अन्य प्राविधिक शाखाओं आदि के विकास के साथ-साथ विधि क्षेत्रों के लिये कुशल अभिकर्मी तैयार करने की दृष्टि से भी सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित प्राथमिक और अन्य स्तरों की शिक्षा की आवश्यकता एवं उपयोगिता सर्वमान्य है।

1.4. वर्तमान प्राथमिक शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी उसका निर्धारण औपनिवेशिक शासन के हित पोषण की नीति के अनुसार किया गया था। स्वतंत्र भारत में देश की विशाल जनसंख्या तथा सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुये वर्तमान संविधान लागू होने की तिथि से दस वर्ष की अवधि में 14 वर्षो तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने का संकल्प किया गया। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई तथा छात्र वृद्धि अभियान चलाये गये जिससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके किन्तु हम आज भी यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि हमने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे- अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि अपेक्षित संसाधनों का अभाव, अभिभावकों और स्थानीय समुदायों की शिक्षा के प्रति उदासीनता आदि।

Scanned by CamScanner

कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) की अनुशंसाओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के नये पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ साथ नवीन पाठ्यपुस्तकों की संरचना की गई। इसी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तथा दस केन्द्रिक बिन्दुओं को आधार मानकर सभी राज्यों में स्थानीय अपेक्षाओं तथा परिवेशीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुये नये पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया तथा नई पाठ्यपुस्तकें भी संरचित की गई। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से यूनिसेफ की वित्तीय सहायता पर आधारित प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीनीकरण, सामुदायिक शिक्षा एवं सहभागिता में विकासात्मक क्रियाकलाप, क्षेत्र सघन शिक्षा आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अधिगम सातत्य (Minimum learning continuum) तथा न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum levels of learning) के अनुसार दक्षता आधारित पाठ्यक्रम के विकास, पाठ्य सामग्री की संरचना, दक्षता पर आधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया जिससे छात्रों के संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक क्षेत्र (congnitive and Non-congnitive Domains) का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। निः सन्देह इन सभी कार्यक्रमों का शिक्षा के गुणात्मक समुन्नयन की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसके साथ ही समाज के सुविधा वंचित वर्गों के बच्चों को जो अनेक सामाजिक-आर्थिक अवरोधों के कारण पूर्णकालिक शिक्षा व्यवस्था का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं, प्राथमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अनुकूल अवसर देने हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की

Scanned by CamScanner

स्थापना एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया और शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा वयस्कों को भी कार्यपरक साक्षरता (Functional literacy) प्रदान करने हेतु प्रयास किए गये।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम से प्रारंभ कर अब हम "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम के चरण में आ गये हैं और सबको साक्षर बनाने के अभियान चलाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से देश के अनेक राज्यों के चुने हुये जनपदों में "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है।

1.5. सबके लिये शिक्षा :

"सबके लिये शिक्षा" विषय पर आयोजित किये गये नौ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में दिनांक 16.12.1993 को अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहिष्णुता और शांति के लिये शिक्षा प्रसार के विश्वव्यापी प्रयास का आह्वान किया गया तथा सन् 2000 तक प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्र्य वित्तीय संगठनों से इस कार्य में सहायता करने तथा शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को एक अभिन्न खर्च के रूप में मान्यता प्रदान करने की अपील की गई। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा ने कहा कि सबके लिये शिक्षा अभियान का उद्देश्य एक ऐसी उत्कृष्ट सभ्यता का विकास करना है जो पारम्परिक संस्कृतियों के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को अक्षुण्ण रखती हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभदायक पक्ष का उपयोग करती हो और मानव तथा राष्ट्रों के मानवता, शांति और मित्रता की भावना को बढ़ावा देती हो।

Scanned by CamScanner

1.5.1. "दिल्ली घोषणा":

सम्मेलन में नौ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के पश्चात "दिल्ली घोषणा" में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत व्यवस्था पर पूर्व निश्चित हदबंदी न लागू किये जाने के लिये कहा गया। इन संगठनों से अपील की गई कि वे देशों को अपने सामाजिक, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार करने में सहयोग प्रदान करें। घोषणा में मानव संसाधान विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिज्ञा ली गई और कहा गया कि मानव संसाधन विकास को उत्तरोत्तर ज्यादा संसाधन दिये जायें तथा सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा।

बंगला देश, ब्राजील, चीन, भारत, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, नाईजीरिया, पाकिस्तान तथा मिश्र के प्रतिनिधियों ने घोषणा में स्वीकार किया कि जनसंख्या वृद्धि के बढ़ते दबाव ने शिक्षा प्रणाली पर अत्यधिक बोझ डाला है। इन देशों की जनसंख्या का आयु वर्ग देखते हुये यह दबाव आगामी दशक तक बना रहेगा।

1.5.2. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से अपील :

दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले नौ देशों ने "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करने तथा आपस में और विश्व समुदाय के सामने अनुभव बांटने की बात कही है।

सर्वाधिक जनसंख्या वाले नौ विकासशील देशों ने शिक्षा क्षेत्र में सहयोग करने वाले सम्पन्न देशों से अपील की है कि शिक्षा प्रणाली की क्षमता बढ़ाने

Scanned by CamScanner

और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये सहायता राशि काफी बढ़ायें। इन देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से अपील की है कि वे शिक्षा व्यय के विकास और आर्थिक ढांचागत सुधारों का अभिन्न अंग मानें और इस पद पर लगी सीमा बढ़ायें। घोषणा में विश्व के सभी देशों से शिक्षा प्रसार के कार्य में सहयोग देने की अपील की है।

दिल्ली घोषणा की शुरूआत में ही स्वीकार किया गया है कि मानवाधिकार घोषणा और सभी नौ देशों के संविधान में शामिल प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिये बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। शिक्षा के माध्यम से ही समान मानव मूल्य मानव संसाधनों की गुणवत्ता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान सम्भव है। शिक्षा प्रणाली के काफी विकास के बावजूद सभी लोगों को अच्छी शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

शिक्षा प्रणाली का स्वस्थ व्यवित और समाज के संदर्भ में प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिये जो गरीबी उन्मूलन, आरोग्यता, जीवन स्तर सुधारने और जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य में सहायता दें।

किसी भी समुदाय , समाज अथवा राष्ट्र के विकास का मूल आधार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा है।

1.5.3. विश्व संदर्भ में निरक्षरताः

विश्व में एक अरब निरक्षर हैं (1992)। एक करोड़ से अधिक बच्चे तो स्कूल जानते ही नहीं हैं जबकि इतने ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। विश्व के लगभग 19.6 प्रतिशत पुरूष एवं 33.6 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं।

Scanned by CamScanner

यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा का वढ़ाव आवादी का विस्तार रोकता है। उदाहरण के लिये ब्राजील में निरक्षर माताओं की संतान दर 6.5 है। भारत के वारे में नतीजा है कि निरक्षर माताओं के 1000 में से 170 वच्चे कम उम्र में मर जाते हैं पर जिन माताओं ने छह साल पढ़ाई ली होती है उनके वच्चे 1000 में 100 ही मरते हैं।

1.5.4. भारतीय संदर्भ में निरक्षरता :

भारत में 32 करोड़ 4 लाख लोग निरक्षर हैं। इसमें से 19 करोड 56 लाख महिलाये हैं। आंकड़ों के मुताविक प्राइमरी स्कूल में 48 प्रतिशत वच्चे गरीवी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं।

प्राइमरी स्तर पर लगभग 47 प्रतिशत वालक पढ़ाई छोड़ देते हैं लड़कियों का प्रतिशत 50 है। इसी तरह आठवीं कक्षा तक 60 प्रतिशत लड़के और 70 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ती हैं। दसवीं कक्षा तक 73 प्रतिशत लड़के और 80 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ती हैं।

आठवीं योजना के दौरान वीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत घटाकर 20 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। साक्षरता मिशन के जरिये 1995 तक 15-30 वर्ष के आठ लाख प्रौढ़ लोगों को साक्षर वनाने का लक्ष्य है। वालिका दशक 1991-2000 की राष्ट्रीय कार्य योजना में वुनियादी शिक्षा तक सवकी पहुँच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

1.5.5. "शिक्षा सबके लिये" विश्व संदर्भ में :

"शिक्षा सबके लिये" नारे का सूत्रपात अब से करीब नौ वर्ष पहले सन् 1990 में प्रथम बार थाईलैण्ड में आयोजित एक सम्मेलन के द्वारा हुआ। इस सम्मेलन में 155 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों तथा शिक्षाविदों द्वारा भाग लिया गया। इसमें 155 सरकारों के अतिरिक्त विश्व की जानी मानी लगभग 20 स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपना योगदान दिया था। विश्व के सभी देशों में बच्चों युवाओं तथा प्रौढ़ व्यक्तियों को लिखने पढ़ने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इस सम्मेलन में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा प्राप्त करना हर विश्व नागरिक का मौलिक अधिकार है और हर कीमत पर यह उसे मिलनी चाहिये। "शिक्षा सबके लिये" कार्यक्रम का प्रारंभ इस महा सम्मेलन के द्वारा थाईलैण्ड के जामतीन नगर में हुआ था इसलिये इस सम्मेलन को जामतीन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। जामतीन सम्मेलन में "शिक्षा सबके लिये" लक्ष्य को निर्धारित करते हुये उसकी पूर्ति हेतु चार उद्घोषणायें की गई जो निम्नांकित हैं-

1. विश्व के सभी शिशुओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल की मौलिक सुविधाओं का विस्तार किया जाये तथा विशेष रूप से करीब, विकलांग तथा अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये नये अवसर पैदा किये जायें।
2. विश्व के सभी तथा हर समुदाय के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाये तथा कम से कम 80 प्रतिशत बालकों को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाये।

Scanned by CamScanner

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लड़के व लड़की होने का भेदभाव भी कम किया जाये।

3. विभिन्न विकासशील देशों में प्रौढ़ शिक्षा की जो दरें सन् 1990 में थीं सन् 2000 तक इसकी दर आधी तक करने का लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य प्राप्ति हेतु ठोस कार्यक्रम निर्धारित किये जायें। सन् 2000 तक पुरूष एवं स्त्री शिक्षा में व्याप्त साक्षरता के अंतर को भी कम किया जाये।

4. परिवारों तथा व्यक्तियों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के साथ जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ने से निश्चित रूप में जीवन स्तर में सुधार होता है। शिक्षा प्राप्ति के फलस्वरूप जीवन स्तर के सुधार में लगातार विकास की नई सम्भावनायें भी पैदा होती हैं इसलिये शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु परम्परागत तथा आधुनिकतम विधियों का उपयोग करते हुये व्यक्ति के व्यावहारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करके प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक विकसित किया जाये।

1.5.6. "शिक्षा सबके लिये" भारतीय संदर्भ में :

जैसा कि भारत के संविधान में संकल्प लिया गया है कि "संविधान लागू होने की तिथि से 10 वर्ष के अंदर सरकार प्रत्येक बच्चे के लिये निशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयास करेगी, जब तक कि बच्चे की आयु 14 वर्ष की न हो जाये।"

हमारे देश में सन् 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का संपूर्ण प्रतिशत लगभग 51 है जिसमें स्त्रियों की साक्षरता दर 39 प्रतिशत के विरूद्ध पुरूषों की

Scanned by CamScanner

साक्षरता दर 64 प्रतिशत है। यही नहीं राज्यवार भी साक्षरता की इस दर में भिन्नता है। जैसे विहार में सबसे कम 23 प्रतिशत तथा केरल में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक 78 प्रतिशत है। देश के दस राज्यों कमशः विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरूणांचल प्रदेश तथा असम में साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय दर से कम है। इसके लिये उपर्युक्त 10 राज्यों को शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य कहा जाता है। यही नहीं नगरीय क्षेत्रों में जहां साक्षरता की दर लगभग 78 प्रतिशत है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका औसत लगभग 50 प्रतिशत आता है।

यहॉ एक चौंकाने वाला तथ्य और है कि प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा हेतु देश में जहां प्राथमिक शिक्षा हेतु 86 प्रतिशत बालकों का पंजीकरण संभव हो सका है वहीं प्राथमिक शिक्षा हेतु केवल 65 प्रतिशत बालिकायें ही पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अपने देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की कुछ और विशेषतायें हैं।

1. प्राथमिक शिक्षा हेतु पंजीकृत बच्चों में लगभग 30 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में अनियमित रूप से पढ़ने आते हैं इसलिये वे कक्षा में सबके साथ नहीं चल पाते एवं जल्दी ही स्कूल छोड़ देते हैं।
2. प्राथमिक शिक्षा हेतु पंजीकृत कुल बच्चों के 55 प्रतिशत बच्चे ही पांच वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं।
3. लगभग 45 प्रतिशत बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं अधिकतर कक्षा - 1 व कक्षा -2 के होते हैं। ये बच्चे पूर्णतया निरक्षर होते हैं या जो अर्द्धसाक्षर होते हैं वे भी स्कूल छोड़ने के बाद धीरे धीरे निरक्षरों में शामिल हो जाते हैं।

Scanned by CamScanner

4. वालकों की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा में वालिकाओं की स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। प्राथमिक शिक्षा हेतु पंजीकृत वच्चों में वालिकाओं का प्रतिशत केवल 40 है। वालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक वालकों से अधिक है। वालकों की यह दर जहाँ 59 प्रतिशत है वहीं वालिकाओं की दर 67 प्रतिशत के लगभग है।

5. देश में 40-50 लाख वच्चे स्वयं अपनी तथा आंशिक रूप से अपने परिवार की जीविका स्वयं अर्जित करते हैं। ऐसे सभी वच्चे नियमित तथा औपचारिक विद्यालयीय शिक्षा से वंचित रहते हैं।

सार्क देशों की साक्षरता को तालिका 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.1 : सार्क देशों में साक्षरता

कम सं0	देश का नाम	साक्षरता का प्रतिशत
1.	भारत	52
2.	चीन	70
3.	इण्डोनेशिया	72
4.	पकिस्तान	26
5.	वंगलादेश	33
6.	मिश्र	44
7.	नाईजीरिया	42
8.	व्राजील	76
9.	मैक्सिको	92

Scanned by CamScanner

1.5.7. "सबके लिये शिक्षा" कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य :

सन् 1990 के दशक के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के द्वारा एक समयवद्ध लक्ष्य का निर्धारण किया गया।

1. शैशवकालीन विकासः

व्च्चे जब से विघालय जाना प्रारंभ करते हैं उसके पहले के उनके मानसिक व शारीरिक विकास का भी विशेष महत्व है। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी सुविधाओं की पहचान कर उनका समुचित विकास किया जाये जिससे सभी वर्ग व सभी समुदाय के वच्चों का वचपन स्वस्थ रहे।

2. प्राथमिक शिक्षाः

यह सरकार का नैतिक दायित्व है कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक वच्चे को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विना किसी भेदभाव के सुनिश्चित की जाये। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निम्न दिशा निर्देश निर्धारित किये गये।

(क) सर्वसाधारण की सरल पहुँच :

अनुसूचित जाति/ जनजातियों सहित सभी वालक वालिकाओं का पंजीकरण प्राथमिक शिक्षा हेतु अनिवार्य वनाया जाये। एक किलोमीटर की अधिकतम दूरी के वृत्त में एक प्राथमिक विघालय की स्थापना अवश्य होनी चाहिये तथा विघालय छोड़ने वाले वच्चों के लिये प्रत्येक ग्रामसभा में अनौपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाये। प्राथमिक पाठशाला से उच्च प्राथमिक पाठशाला में जाने वाले

Scanned by CamScanner

बच्चों के वर्तमान समानुपात 4: 1 को बढ़ाकर 2: 1 तक ले जाने हेतु प्रयास तेज करने चाहिये।

(ख) सहभागिता :

सभी वर्गों व समुदाय के बच्चों को प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा दिलाने हेतु यह आवश्यक है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक तथा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय छोड़ने की वर्तमान दर क्रमशः 45 व 60 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 20 प्रतिशत व 40 प्रतिशत तक लाई जाये।

(ग) लक्ष्य प्राप्ति :

" सबके लिये शिक्षा "कार्यक्रम को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर तक सभी बच्चों के प्रवेश को अनिवार्य बनाकर लिखने पढ़ने का प्राथमिक ज्ञान अनिवार्यतः प्रदान किया जाये।

सन 1992 की नई शिक्षा नीति में "शिक्ष सबके लिये" लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ विशेष प्राविधान जोड़े गये।

1. शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में समानता लाना।
2. जाति, वर्ग, लिंग, सम्प्रदाय आदि सामाजिक असामानताओं में कमी लाना।
3. शिक्षा तथा शिक्षण विधियों में गुणात्मक सुधार लाना।
4. शिक्षा की भौतिक सुविधाओं व संसाधनों में वृद्धि एवं सुधार।
5. शिक्षा व शिक्षण के अन्य वैकल्पिक माध्यमों की खोज और उनका सुदृढ़ीकरण।
6. शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल।

Scanned by CamScanner

1.5.8. प्रौढ़ शिक्षा :

भारतवर्ष में "शिक्षा सबके लिये" कार्यक्रम के अंतर्गत जहां एक ओर प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों हेतु अनिवार्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं दूसरी ओर 18-35 वर्ष आयु के ऐसे प्रौढ़ लोगों को भी साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिन्हें बचपन में साक्षर बनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे 104 लाख प्रौढ़ व्यक्तियों को सन् 1997 क प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कर उन्हें कियात्मक रुप से साक्षर बनाने की योजना तैयार की गई है।

1.5.9. सतत शिक्षा :

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात तथा प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त कर कियात्मक रुप से साक्षर बनने के बाद ऐसे व्यक्तियों को अपना ज्ञान बढ़ाने के अवसर सुलभ कराने हेतु सतत शिक्षा की परिकल्पना की गई है। कियात्मक साक्षर व्यक्तियों के शिक्षा स्तर में वृद्धि करने हेतु जन शिक्षण निलयम, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। यही नहीं ऐसे वर्ग समूह के जो लोग डिग्री व डिप्लोमा भी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों, इन्दिरा गांधी उन्मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सतत पत्राचार व दूरदर्शन पाठ्यक्रम द्वारा दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से भी शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकता है।

शिक्षा परिवर्तन, प्रगति तथा विकास का एक प्रभावशाली माध्यम है। शिक्षा मानव के सर्वोन्मुखी विकास का भी सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा मानव को

Scanned by CamScanner

अपने वातावरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने, स्वस्थ जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। शिक्षा प्राप्त करना मानव का मूल अधिकार है। इसी मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुये हमारे संविधान की 45वीं धारा ने घोषित किया था कि "संविधान अधिग्रहण के दस वर्षो में राष्ट्र 14 वर्ष की आयु सीमा तक के सभी बालक, बालिकाओं की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।"

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। आज 90 प्रतिशत से अधिक गांवों तथा दूर-दराज के इलाकों में प्राथमिक विघालय अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं। लगभग सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रारंभिक शिक्षा निशुल्क है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें स्कूली बालक बालिकाओं (विशेष रूप से कमजोर व पिछड़े वर्ग तथ अनुसूचित जाति व जनजाति) को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देती हैं जैसे निशुल्क पोशाक, पुस्तकें व स्टेशनरी, मध्यान्ह अल्पाहार, छात्रवृत्ति व उपस्थिति पुरुस्कार आदि। शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिये स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी प्रारंभिक शिक्षा में अभी तक आशानुकूल प्रगति नहीं हुई है तथा सभी के लिये शिक्षा का लक्ष्य अभी भी दूर प्रतीत होता है।

1.6. अध्ययन का औचित्य :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि बालकों के साथ साथ प्रत्येक बालिका को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाये। किन्तु यह कार्य सरल नहीं है। प्राथमिक विघालय के स्तर पर नामांकन का लड़को का अनुपात लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक है।

Scanned by CamScanner

अनुमान है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर यह 55.5 प्रतिशत और माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर 77.7 प्रतिशत है। ऐसा इसलिये है क्योंकि लड़कियां बहुत ही छोटी उम्र में घरेलू काम काज मे अपनी माताओं का हाथ बंटाने लगती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1975 - 85 के बीच उच्च शिक्षा के लिये लड़कियों का नामांकन एक जैसा बना रहा है। इन सबको ध्यान मे रखते हुये यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि भारत में महिला साक्षरता की दर बहुत ही नीचे है। 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 39.42 प्रतिशत। 90 करोड़ से भी ऊपर की कुल जनसंख्या में से केवल 13 करोड़ महिलायें ही साक्षर हैं। अलग अलग राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत अलग है। केरल में जहां 65.73 प्रतिशत है वहीं राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में यह महज 5.5 प्रतिशत है। वर्ष 1991 में महिलाओं की कुल साक्षरता का अनुपात पुरूषों के 52 प्रतिशत की तुलना में केवल 11 प्रतिशत दर्ज किया गया।ठोस संदर्भो में , निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरूषों की दर के मुकाबले समय के साथ तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही है। बेहद दुखद पक्ष यह है कि भारत में बालिकायें केवल अपने ही परिवार पर एक बोझ मानी जाती हैं।

सब कुछ कहने और करने के साथ आज विश्व भर में बालिकाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उनकी दशा सुधारने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं किन्तु भारत में आज भी अनेक ऐसी बाधायें हैं जो बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग को अवरूद्ध कर रही हैं। कुछ तो प्रत्यक्ष बाधायें हैं और कुछ प्रच्छन्न हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन उन्हीं बाधाओं का पता लगाने से संबंधित है।

Scanned by CamScanner

1.7. अध्ययन का महत्व :

प्रस्तुत शोध अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हुये शोध/ सर्वेक्षण पर आधारित उपलब्ध साहित्य की विसंगतियों को ज्ञात कर उसकी छानवीन करना स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्य है। यत्र तत्र उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों व आंकड़ों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करने के पश्चात वालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली वाधाओं का पता चल सकेगा। इसके साथ ही भावी शोध के लिये ठोस आधार भी प्राप्त हो सकेगा।

1.8. समस्या कथन :

प्रस्तुत अध्ययन का विषय है "वालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली वाधाओं पर सर्वेक्षण।"

1.9. अध्ययन के उददेश्य :

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. पुरूष व महिला साक्षरता की वर्तमान स्थिति का पता लगाना।
2. पुरूष व महिला साक्षरता का ग्रामीण / शहरी स्तर पर पता लगाना।
3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में पुरूष व महिला साक्षरता की वर्तमान स्थिति ज्ञात करना।
4. प्राथमिक स्तर/ उच्च प्राथमिक स्तर पर वालक / वालिकाओं के सफल नामांकन अनुपात को ज्ञात करना।
5. अनुसूचित जाति / जनजाति के वालक / वालिकाओं का प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर पर सफल नामांकन अनुपात ज्ञात करना।

Scanned by CamScanner

6. विद्यालय छोड़ने की दर का पता लगाना।

7. उन कारणों या बाधाओं का पता लगाना जो बालिकाओं को विद्यालय से दूर रखने के लिये उत्तरदायी हैं।

1.10. अध्ययन का परिसीमन :

प्रस्तुत शोध अध्ययन बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के अतिरिक्त साक्षरता, साक्षरता दर (ग्रामीण व शहरी, अनुसूचित जाति व जनजाति), सफल नामांकन अनुपात (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर व अनुसूचित जाति व जनजाति) और बालक बालिकाओं द्वारा स्कूल छोड़ने की दर के अध्ययन तक ही सीमित है।

Scanned by CamScanner

अध्याय–2

शोध प्रारुप व प्रक्रिया

Scanned by CamScanner

अध्याय - 2

शोध प्रारुप व प्रकिया

इस अध्याय के अंतर्गत शोध प्रारुप एवं प्रकिया का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है।

1. अध्ययन विधि
2. अध्ययन का क्षेत्र
3. अध्ययन में वांछित सामग्री का स्त्रोत
4. सामग्री विश्लेषण की विधि

2.1. अध्ययन विधि :

प्रस्तुत लघु अध्ययन में समस्या को दृष्टिगत रखते हुये सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। मूल्यांकन प्रविधि में सर्वेक्षण एक व्यापक उपागम है। इस विधि के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन विश्लेषण एवं संश्लेषण किया जाता है।

2.2. अध्ययन का क्षेत्र :

प्रस्तुत लघु अध्ययन में वालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग मे आने वाली वाधाओं का पता लगाने के लिये संपूर्ण भारतवर्ष की वालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

Scanned by CamScanner

2.3. अध्ययन में वांछित सामग्री का स्त्रोत :

इस अध्ययन में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। ये सूचनायें इन स्त्रोतों से प्राप्त हुई हैं।

1. भारत की जनसंख्या 1991 - 92 का आलेख
2- Statistical Data Base of Literacy, Part-II
3. सभी के लिये शिक्षा भारतीय परिदृश्य
4. चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991-92 (राजस्थान पत्रिका टीचर्स टुडे)
5. भारत सरकार शिक्षा विभाग वार्षिक रिपोर्ट 1992-93 भाग -
6. प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिकायें व समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख

2.4. सामग्री विश्लेषण की विधि :

अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण किया गया। सूचनाओं को तालिकाबद्ध किया गया है। यथास्थान वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

Scanned by CamScanner

अध्याय–3

परिणाम व विवेचना

Scanned by CamScanner

अध्याय - 3

परिणाम व विवेचना

इस अध्याय में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों व उनके विवेचन को प्रस्तुत किया गया है।

3.1. साक्षरता की वर्तमान स्थिति :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है परंतु महिला निरक्षरों की संख्या पुरूष निरक्षरों की अपेक्षा काफी अधिक है। 1991 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार 127 मिलियन निरक्षर हैं जबकि पुरूषों की संख्या महिलाओं से 32 मिलियन अधिक है। पुरूष व महिला साक्षरता दरों में निरंतर वृद्धि हुई है परंतु आज भी महिला साक्षरता दरें पुरूषों की अपेक्षा काफी कम हैं। सन् 1951 से 1991 तक पुरूष व महिला और संपूर्ण साक्षरता दर को तालिका 3.1. में प्रदर्शित किया गया है।

तलिका 3.1 : साक्षरता दरें

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.67	56.50	29.85
1991	52.19	64.20	39.19

स्त्रोत : भारत की जनसंख्या 1991-92 का आलेख पृष्ठ- 51

Scanned by CamScanner

तलिका 3.1 से स्पष्ट है कि 1951 में देश की कुल साक्षरता जहां 18.33 प्रतिशत है वहीं यह बढ़कर 1991 में 52.19 हो गयी। इसी प्रकार पुरूष व महिला साक्षरता सन 1951 में क्रमशः 27.16 तथा 8.86 प्रतिशत जो सन 1991 में बढ़कर 64.20 और 39.19 है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि स्त्री साक्षरता निरंतर पुरूष साक्षरता से बहुत पीछे है।

3.2. ग्रामीण और शहरी जनसख्ंया में साक्षरता दरः

विभिन्न राज्यों की साक्षरता दरों में पर्याप्त अंतर है। केरल में पुरूषों व महिलाओं की साक्षरता दरें अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दरों में पर्याप्त अंतर है तथा ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दरें शहरी महिलाओं की अपेक्षा आधे से कम है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर क्रमशः 11.6, 18.0, 19.7 तथा 19.0 प्रतिशत है।

तालिका 3.2 : साक्षरता दरें 1991 - ग्रामीण / शहरी ।

क्षेत्र	पुरूष	महिला
ग्रामीण	57.87	30.62
शहरी	81.9	64.05

स्त्रोत : स्टेटिस्टिकल डेटा बेस आफ लिटरेसी भाग - 2

Scanned by CamScanner

तालिका 3.2 - राज्यवार जनसंख्या एवं साक्षरता दर 1991

कम सं0	राज्य	जनसंख्या	साक्षरता दर
1.	जम्मू व कश्मीर	18700	-
2.	हिमांचल प्रदेश	5111079	63.54
3.	पंजाब	20190795	57.14
4.	हरियाणा	16317715	55.33
5.	राजस्थान	43880640	33.81
6.	गुजरात	41174343	60.91
7.	उत्तर पदेश	138760417	41.71
8.	बिहार	86338853	38.54
9.	पश्चिम बंगाल	67982732	57.72
10.	असम	22294562	53.42
11.	सिक्किम	405505	56.53
12.	अरुणांचल प्रदेश	858392	41.22
13.	नागालैण्ड	1215573	61.30
14.	त्रिपुरा	2744827	60.39
15.	मणिपुर	1826714	60.96
16.	मिजोरम	686217	81.23
17.	मेघालय	1760626	48.26

Scanned by CamScanner

18.	मध्य प्रदेश	66135862	43.45
19.	महाराष्ट्र	78806719	63.03
20.	गोवा	1168622	76.96
21.	कर्नाटक	44806468	55.98
22.	आन्ध्र प्रदेश	66304854	45.14
23.	उड़ीसा	31512070	48.45
24.	तमिलनाडु	55638318	63.72
25.	केरल	29022828	90.59
26.	दिल्ली	9370475	76.09

स्त्रोत : भारत की जनसंख्या 1991-92 का आलेख भाग -2

तालिका 33 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य कमशः केरल {90. 59}, मिजोरम{ 81.23}, गोवा{ 76.96}, दिल्ली {76.09}, और हिमांचल प्रदेश {63.54} है जबकि निम्न साक्षरता वाले 5 राज्य कमशः राजस्थान { 33.81}, विहार { 38.54} अरुणांचल प्रदेश { 41.22}, उत्तर प्रदेश { 41.71}, मध्य प्रदेश { 43.45} और आंध प्रदेश हैं।

3.3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति में साक्षरता दर :

सभी के लिये शिक्षा, भारतीय परिदृश्य नामक प्रकाश के पपृष्ठ 13 पर दिये गये तथ्यों से पता चलता है कि भारत में अनुसूचित जाति के पुरूषों में जहां साक्षरता दर 49.91 है वहां अनुसूचित जाति / जनजाति के पुरूषों में यह दर 40.65 है

Scanned by CamScanner

जो कि अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 23.76 और 18.19 है। यहां भी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यह विवरण तालिका 3.4 में प्रदर्शित है।

तालिका 3.4. साक्षरता दरें 1991 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

	पुरूष	महिला
अनुसूचित जाति	49.91	23.76
अनुसूचित जनजाति	40.65	18.19

स्त्रोत : सभी के लिये शिक्षा, भारतीय परिदृश्य, पृष्ठ - 13

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दरें पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है चाहे शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण, अनुसूचित जाति हो, जनजाति अथवा अन्य समुदाय । साथ ही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दरें तो न्यूनतम हैं।

3.4. सकल नामांकन अनुपात :

प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है परंतु बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात बालकों की अपेक्षा कम है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से भी कम है।

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालकों का सकल नामांकन 100 से अधिक है जबकि बालिकाओं के लिये यह अनुपात लगभग 83 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात बालकों की

Scanned by CamScanner

अपेक्षा बहुत कम है। सकल नामांकन अनुपात का विवरण क्रमशः तालिका 3.5 और तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.5 सकल नामांकन अनुपात :

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
लड़के	116.61	74.19
लड़कियां	88.09	47.40

स्त्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (1991.92).

तलिका 3.6. सकल नामांकन अनुपात : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति।

		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
अनुसूचित जाति	लड़के	121.23	68.89
	लड़कियां	83.56	36.03
अनुसूचित जनजाति	लड़के	125.63	54.11
	लड़कियां	82.59	27.28

स्त्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े (1991.92)

3.5. स्कूल छोड़ने की दरें:

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन तो बढ़ा है परंतु आज भी बहुत से बालक बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण देश में 140121 प्राथमिक विघालयों में 11000964 छात्रों का नामांकन प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत था। प्राथमिक स्तर की

Scanned by CamScanner

अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। साथ ही अनुसूचित जाति व जनजातियों के छात्रों की स्कूल छोड़ने की दरें अन्य जाति के छात्रों की अपेक्षा बहुत अधिक है।

सभी जातियों की बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दरें बालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक बालिकायें लगभग (68 प्रतिशत) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं।

विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में साक्षरता दरों, नामांकन तथा स्कूल छोड़ने की दरों में व्यापक अंतर है परंतु लगभग सभी राज्यों में बालिकायें पिछड़ी हुई हैं। यदि हम शिक्षा में सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तथा सभी को शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी नीति को ध्यान में रखते हुये हमारी नई शिक्षा नीति 1986 तथा उसकी कार्य योजना में बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर देने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई है। स्कूल छोड़ने की दरें संबंधी विवरण तालिका 3.7 में प्रदर्शित है।

कक्षा	अ०जा० लड़के	अ०जा० लड़कियां	अ०ज०जा० लड़के	अ०ज०जा० लड़कियां	सभीसमुदाय लड़के	सभीसमुदाय लडकियां
1-5	47.24	53.39	61.94	68.73	46.74	46.69
1-8	64.37	37.60	76.21	81.45	59.38	68.31

स्त्रोत - भारत सरकार शिक्षा विभाग, वार्षिक रिपोर्ट 1992 - 93

Scanned by CamScanner

5.6. बालिकाओं का स्कूल न जाना अथवा पढ़ाई बीच में छोड़ देना कतिपय बाधायें/ कारण :

बालिकाओं तथा महिलाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिये समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अनेक अध्ययन किये जाते रहे हैं इन कारणों में क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत भिन्नतायें हैं। बालिकाओं के स्कूल न जाने अथवा पपढ़ाई बीच में छोड़ देने के कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं।

3.6.1. लगातार कम होता लिंग अनुपात :

लिंग अनुपात(प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या) महिलाओं के संपूर्ण दर्जे का एक महत्वपूर्ण सूचक है। भारत में लिंग अनुपात तेजी से गिरता जा रहा है। 1981 में जो लिंग अनुपात 972 था वह 1991 में घटकर 927 रह गया। लिंग अनुपात कम होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे बालिकाओं को जन्म से पहले अथवा पैदा होते ही मार दिया जाता है। आज भी हमारे देश में अधिकांश परिवार पुत्रों को ही अधिक महत्व देते हैं। जगह जगह भ्रूण परीक्षण केन्द्र हैं जहां पता लगते ही लोग गर्भपात कराकर भ्रूण बालिका की हत्या करवा देते हैं। 1984 में महानगर मुम्बई में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 40000 बालिका भ्रूण गर्भपात के जरिये नष्ट किये गये (योगेश्वर शर्मा 1994) अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु (सेलम, धर्मापुरी, उसलियाम पटटी) राजस्थान, हरियाणा पंजाब आदि में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है।

Scanned by CamScanner

वस्तुतः विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग बालिकाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ाने के लिये किया गया है। एम्नियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउण्ड जैसे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर लिंग निर्धारण परीक्षण के लिये किया गया है ताकि स्त्री भ्रूण को चुन चुनकर समाप्त किया जा सके। वर्ष 1956 बहुत सी बालिकाओं के लिये मौत की घंटी की तरह था तब पहली बार लिंग का जन्म से पहले ही निर्धारण किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1978 से 1983 के बीच लिंग निर्धारण परीक्षणों द्वारा भारत में 78000स्त्री भ्रूण को गर्भपात द्वारा नष्ट किया गया।

3.6.2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा व बाल मृत्यु दर।

जैविक दृष्टि से बालकों से अधिक मजबूत होने के बावजूद भी प्रतिवर्ष 300000 से अधिक लड़कियां मरती हैं तथा मरने वाली हर छठीं लड़की की मौत का कारण लिंग भेद है (योगेश्वर शर्मा 1994) देश में लड़के लड़कियों के जन्म के मात्र चार वर्षों के भीतर ही लड़कियों की मृत्यु दर अधिक होने के कारण 100 लड़कियों पर 105 लड़के हो जाते हैं। हरियाणा, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिशु मृत्यु दर अधिक है (उषा नैयर, 1993) ।

बालकों की अपेक्षा अधिक बालिकायें कुपोषण का शिकार होती हैं तथा उन्हें कम स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त होती हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर तालिका 3.8 में प्रदर्शित है।

Scanned by CamScanner

तालिका 3.8: भारत में शिशु मृत्यु दर (प्रति एक हजार)

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल
1970	136	90	129
1971	138	82	129
1972	150	85	139
1973	143	89	134
1974	136	74	126
1975	151	84	140
1976	139	80	129
1977	140	81	130
1978	136	71	126
1979	130	72	120
1980	124	65	114
1991	98	58	

स्रोत : Vital Statistics Division, Office of the Registrar General, 1981 (Census of India, Series-1)

3.6.3. बालिकाओं के प्रति माता पिता का भेदभाव पूर्ण व्यवहार :

यद्यपि भारतीय परिवारों में बालिकाओं/ स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है परंतु आज भी बहुत से माता पिता (विशेष रूप से ग्रामीण,

Scanned by CamScanner

कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के) लड़कों को पढ़ाने में गौरव समझते हैं तथा लडकियों को एक वोझ समझते हैं तथा उन्हें पढ़ाना व्यर्थ समझते हैं। माता पिता को वालिका शिक्षा पर खर्च करने में कोई लाभ नही दिखायी देता। यदि घर में आर्थिक विपन्नता हो तो लड़कों को तो किसी न किसी तरह पढ़ने के लिये भेज दिया जाता है परंतु वालिकाओं को रोक लिया जाता है। वालिकाओं को पढ़ने के लिये न तो प्रोत्साहित किया जाता है और न ही इसके लिये उचित सहयोग दिया जाता है।

3.6.4. कम उम्र में विवाह :

स्त्रियों के विवाह की औसत आयु में लगातार वृद्धि हुई है। 1961 में स्त्रियों के विवाह की औसत आयु 15.5 वर्ष थी वह 1991 में वढ़कर 19.3 वर्ष हो गयी परंतु आज भी विहार, मध्य प्रदेश , राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक लड़कियों का विवाह 20 वर्ष से कम आयु में ही कर दिया जाता है (पाठक 1994) कम उम्र में विवाह के कारण वहुत सी वालिकाओं की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है।

3.6.5. सामाजिक प्रतिबंध :

कुछ भारतीय समुदाय आज भी वालिकाओं को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं विशेष रूप से किशोरावस्था आते आते उनके वाहर जाने पर प्रतिवंध लगा दिया जाता है जिससे उनका स्कूल में जाना वंद हो जाता है। कुछ माता पिता वालिकाओं को (विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर) ऐसे स्कूलों

Scanned by CamScanner

में नहीं भेजना चाहते जहां बालक भी पढ़ते हैं अथवा जहां पुरुष अध्यापक ही पढ़ाते हों। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकायें इस कारण भी स्कूल छोड़ देती हैं।

3.6.6. बालिकायें घरेलू काम काज में व्यस्त :

गरीब परिवारों में माता पिता दोनों को बाहर कार्य करना पड़ता है। माता की अनुपस्थिति में घर के कार्यों की जिम्मेदारी नन्हीं बालिका पर आ जाती है। ऐसे घरों की बालिकाओं का अधिकांश समय पानी भरने, खाना बनाने, छोटे भाई बहनों की देखभाल करने, चारा व ईधन जुटाने व पपशुओं की देखभाल करने में ही बीतता है जिससे स्कूल जाना उनके लिये संभव नहीं हो पाता। 6 से 11 वर्ष की लडकियां घर का 30 प्रतिशत तक काम निबटाती हैं। (महिला तथा बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ : उपेक्षित संतान, 1988)

3.6.7. माता पिता के आर्थिक कार्यो में सहायता तथा बाल मजदूरी

घर चलाने के लिये कमजोर व पिछड़े वर्ग की बहुत सी बालिकाओं को माता पिता के आर्थिक कार्यो में भी हाथ बंटाना पड़ता है अथवा उन्हें मजदूरी करना पड़ती है। स्कूल जाने योग्य बहुत सी बालिकायें आज भी घरों में लगे छोटे छोटे उघोगों में मजदूरी करती हैं जैसे बीड़ी उघोग, गोटा व्यवसाय, कालीन व दरी व्यवसाय, ताला उघोग व रत्न तराशने का उघोग प्रमुख है। गांवों में बालिका मजदूरी पर किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि लड़की दिन में लगभग नौ घन्टे और साल में लगभग 315 दिन खेतों और घर में काम करती हैं (महिला और बाल विकास तथा यूनिसेफ : 1988)।

Scanned by CamScanner

3.6.8. शिक्षा पर खर्च :

यद्यपि अधिकतर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें स्कूली बालक बालिकाओं को बहुत से प्रोत्साहन भी देती है परंतु फिर भी माता पिता को बच्चों की पढ़ाई पर कुछ न कुछ व्यय करना ही पड़ता है। यदि बालिकाओं को स्कूल भेजना हो तो घर के काम काज के लिये भी माता पिता को खर्चा करना पड़ेगा जिसे वहन करने में या तो माता पिता असमर्थ होते हैं अथवा वहन करने में रुचि नहीं दिखाते क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा उन्हें लाभदायक नजर नहीं आती।

3.6.9. स्कूलों की कमी :

पिछले दशक से स्कूली सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। पांचवे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1986) के अनुसार 94.06 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में एक किलोमीटर की पैदल दूरी पर ग्रामीण स्कूल उपलब्ध थे तथा लगभग 85 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में तीन किमी० की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्कूल थे परंतु देश में 300 या इससे अधिक आवादी वाली 31815 वस्तियों के लिये एक किमी० की पैदल दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। (एजूकेशन फार आल, 1993) उच्च प्राथमिक स्तर पर तो स्थिति और भी खराब है जहां 979085 वस्तियों तथा 578882 गांवों के लिये केवल 145025 स्कूल हैं (उषा नैयरख 1993अ) विद्यालयों की कमी विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी लड़कियों के नामांकन को विशेष रूप से प्रभावित करती है।

Scanned by CamScanner

3.6.10. अध्यापिकाओं की कमी :

अनेक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अध्यापिकाओं की उपस्थिति बालिका शिक्षा को कई तरह से प्रभावित करती है। अध्यापिका होने से माता पिता स्कूल में अपनी लड़कियों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहते हैं अतः उनकी उपस्थिति व प्रतिधारणा बढ़ती है, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्तर पर।साथ ही अध्यापिका को आदर्श प्रतिमान मानकर भविष्य में ऐसा ही बनने के लिये प्रोत्साहित भी होती हैं (यूनिसेफ - बालिका शिक्षा सुधार के लिये रणनीतियां, 1992) । परन्तु हमारे देश में अध्यापिकाओं की कमी लगातार बनी हुई है। 1991 - 92 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर केवल 29.4 प्रतिशत अध्यापिकायें हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 33.7 प्रतिशत अध्यापिकायें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर केवल 21 प्रतिशत अध्यापकायें हैं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर यह प्रतिशत 23 है (पांचवां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 1991) अध्यापिकाओं की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कमी के कई कारण हैं जिनमें महिलाओं की कम साक्षरता दर , ग्रामीण बालिकाओं का उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाना, घर तथा व्यवसाय की दोहरी जिम्मेदारी, ग्रामीण क्षेत्रों में अकेली अध्यापिकाओं के लिये उचित आवासों की कमी, आवागमन के उचित साधनों का अभाव व शहरी उच्च शिक्षित लड़कियों का गांव जाना पसंद न करना आदि प्रमुख हैं।

Scanned by CamScanner

अध्याय–4

निष्कर्ष एवं सुझाव

Scanned by CamScanner

अध्याय - 4

निष्कर्ष एवं सुझाव

4.1. निष्कर्ष :

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

1. पुरूषों की तुलना में महिला साक्षरता की दर लगातार कम वनी हुई है।
2. पुरूष व महिला साक्षरता दरों में निरंतर वृद्धि हुई है परंतु आज भी महिला साक्षरता दरें पुरूषों की अपेक्षा काफी कम है।
3. विभिन्न राज्यों की साक्षरता दरों मे पर्याप्त अंतर है। केरल में पुरूषों व महिलाओं की साक्षरता दरें अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हैं।
4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दरों मे पर्याप्त अंतर है तथा ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दरें शहरी महिलाओं की अपेक्षा आधे से भी कम है।
5. राजस्थान, विहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर क्रमशः 11.6, 18.8, 19.7 तथा 19.0 प्रतिशत है।
6. अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की साक्षरता दरें अन्य जातियों की अपेक्षा वहुत कम है।
7. प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है परंतु वालिकाओं का सकल नामांकन, अनुपात वालकों की अपेक्षा कम है। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो वालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से भी कम है।

Scanned by CamScanner

8. प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के वालकों का सकल नामांकन अनुपात 100 से अधिक है जबकि वालिकाओं के लिये यह अनुपात लगभग 83 प्रतिशत है।

9. उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जात्यिों की वालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात वालकों की अपेक्षा वहुत कम है।

10. प्राथमिक स्तर की अपेक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है। साथ ही अनुसूचित जाति व जन जातियों के छात्रों की अपेक्षा वहुत अधिक है।

11. सभी जातियों की वालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दरें वालकों की अपेक्षा अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की सवसे अधिक वालिकायें (लगभग 68 प्रतिशत) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं।

वालिकायें स्कूल नहीं जातीं क्योंकि -

1. वालिकाओं की अपुपात लगातार घटता जा रहा है।
2. वालिकाओं की उच्च शिशु व वाल मृत्यु दर है।
3. वालिकाओं के प्रति माता पिता का भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है।
4. वालिकाओं की कम उम्र में शादी हो जाती है।
5. वालिकाओं को अनेक सामाजिक प्रतिवंधों का सामना करना पडता है।
6. उन्हें घरेलू काम काज में लगा दिया जाता है।
7. वे माता पिता के आर्थिक कार्यों में सहायता देने तथा वाल मजदूरी के लिये वाध्य होती हैं।

Scanned by CamScanner

8. शिक्षा पर खर्च करने में माता पिता प्रायः असमर्थ होते हैं।

9. वालिकाओं के लिये स्कूलों की कमी वनी हुई है।

10. महिला अध्यापिकाओं की कमी है।

4.2. वाधाओं को दूर करने के सुझाव :

वालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में आने वाली वाधाओं को कम करने अथवा समाप्त करने की दृष्टि से निम्न सुझाव हैं।

4.2.1. स्कूलों को समुदाय के निकट खोला जाये:

ऐसे स्थानों में जहां यातायात के उपयुक्त व सस्ते साधन उपलब्ध नहीं हैं अथवा अपनी वेटियों की सुरक्षा के डर से माता पिता लड़कियों को दूर के स्कूल में भेजना नहीं चाहते वहां स्कूलों को ही लड़कियों के निकट लाना प्रभावशाली हो सकता है। स्थानीय सामान की सहायता से व स्थानीय लोगों की मदद से काम चलाऊ भवनों का निर्माण किया जा सकता है। यदि दुर्गम व कम आवादी वाले क्षेत्रों में स्कूलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो वहां सैटेलाइट स्कूलों की व्यवस्था की जा सकती है।

4.2.2. स्कूलों में लड़कियों के लिये अलग सुविधायें :

राष्ट्रीय स्तर पर किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों मे या तो शौचालय होते ही नहीं यदि होते भी हैं तो वालिकाओं के लिये अलग शौचालय नहीं होते इससे माता पिता लड़कियों की सुरक्षा के प्रति आशंकित रहते हैं तथा वालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। अतः वालक

Scanned by CamScanner

बालिकाओं वाले स्कूलों में बालिकाओं के लिये अलग शौचालयों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

4.2.3. लड़कियों के लिये अलग स्कूलों की व्यवस्था :

उच्च प्राथमिक स्तर पर समुदायों की मांग के अनुसार लड़कियों के लिये अलग स्कूलों की व्यवस्था करके लड़कियों का नामांकन तथा प्रतिधारण बढ़ाया जा सकता है।

4.2.4. बालिका शिक्षा के लिये मांग पैदा की जाये :

ग्रामीण और कमजोर वर्ग के बहुत से माता पिता (विशेष रूप से अशिक्षित माता पिता) बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाते हैं क्योंकि आज भी आम भारतीय परिवारों में लड़कियों व महिलाओं का मुख्य कार्य घर परिवार चलाना है और माता पिता के अनुसार शिक्षा उन्हें इन कार्यों में कोई मदद नहीं करती। अतः शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को आम भारतीयों के जीवन से जोड़ा जाये। पाठ्यक्रम ऐसा ही हो जो लड़कियों को भावी जीवन के लिये तैयार कर सके, स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को सुधारे, बच्चों की देखभाल, पशुपालन और खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी दे सके। पाठ्यक्रम स्थानीय हो और लिंग भेद को धीरे धीरे समाप्त कर सके। साथ ही बालिकाओं में सामान्य तथा नये नये कौशलों के विकास के अवसर दे सके, जैसे पम्पसैट, ट्यूबवैल तथा खेती की साधारण मशीनें चलाने के कौशल, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें तथा भविष्य में उन्हें अच्छे रोजगार मिल सकें।

Scanned by CamScanner

4.2.5. शिक्षा पर होने वाले खर्च को वढाया जाये :

जहॉं तक हो सके प्रारंभिक शिक्षा को पूरी तरह निशुल्क वनाया जाये। प्रोत्साहन सुविधायें जैसे पोशाक, पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति आदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की सभी वालिकाओ के लिये हो तथा समय से दी जायें। प्रोत्साहन सुविधायें स्थानीय मांग के अनुरूप हों।

4.2.6. पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार तथा शिशु केन्द्रों की व्यवस्था:

शोधों द्वारा यह पता चलता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्तर पर वालिकाओं का नामांकन वढ़ाती है तथा स्कूल छोड़ने की दरें कम करती है परंतु 1986 -87 के आंकडों के अनुसार केवल 12 प्रतिशत गांवों मे ही पूर्ण प्राथमिक शिक्षा केन्द्र/ शिशु केन्द्र हैं। अतः प्रत्येक ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में 0 - 6 वर्ष के वच्चों की संख्या के अनुसार शिशु केन्द्रों की व्यवस्था की जाये। जहॉं तक हो सके इन शिशु केन्द्रों को प्राथमिक स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के आस पास ही खोला जाये जिससे स्कूल जाने योग्य वालिकायें व कामकाजी महिलायें छोटे शिशुओं को वहां छोड़ सकें।

4.2.7. सस्ती तकनीकियों का विकास तथा प्रसार :

ऐसी सस्ती तकनीकियों का विकास तथा प्रसार किया जाये जिससे घर के सभी कार्यो में मदद मिलती हो तथा समय कम लगता हो। इन्हें आम परिवारों के लिये सुलभ कराया जाये तथा इनके प्रयोग के लिये उचित प्रशिक्षण भी

Scanned by CamScanner

दिया जाये। घर के कामों में समय की बचत से लड़कियों को स्कूल जाने का समय मिल सकेगा।

4.2.8. महिला अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाई जाये :

ग्रामीण क्षेत्रों में इस ओर विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिये अध्यापिकाओं की नियुक्ति जहां तक हो सके स्थानीय समुदाय से ही की जाये। स्थानीय अध्यापिकायें शिक्षण के साथ साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारी भी निभा सकेंगी साथ ही उन्हें रोजगार मिलने से समाज में उनका स्तर भी सुधरेगा। शिक्षा कर्मी योजना इसका प्रभावशाली उदाहरण है, इसे अन्य राज्यों में भी लागू करके अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

4.2.9. शिक्षा के लिये समाज को जाग्रत किया जाये :

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये पूरे समुदाय व समाज को जाग्रत किया जाये। सामाजिक बुराइयां जैसे - बालिकाओं व स्त्रियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार, बाल -विवाह, दहेज, भ्रूण बालिकाओं की हत्या को धीरे धीरे जड़ से समाप्त करने के लिये स्थानीय सामुदायिक तथा धार्मिक नेताओं, महिला मण्डलों तथा अन्य महिला संगठनों की मदद ली जा सकती है। समाज में जागरूकता लाने के लिये जनसंचार माध्यमों तथा स्थानीय लोक नृत्य नाटिकाओं तथा गीतों आदि का उपयोग किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

4.2.10. महिलाओं को शिक्षा द्वारा सशक्त बनाया जाये:

सशक्त बनाने के लिये महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है ताकि वे अपने निर्णय लेने योग्य बन सकें समाज का मुकाबला कर सकें तथा अपनी बच्ची को उसका जीने तथा पढ़ने का अधिकार दिलवा सके। "महिला समाख्या" तथा "लोक जुम्बिश" महिलाओं को शिक्षित तथा सशक्त बनाने के लिये की गई ऐसी परियोजनायें हैं जिनके परिणाम अति उत्साहवर्द्धक हैं। "डच" की सहायता से जारी परियोजना "महिला समाख्या" का शाब्दिक अर्थ है - शिक्षा के द्वारा महिलाओं की समानता। इस परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयास किये जाते हैं तथा महिलाओं को अपनी गति तथा अपने ढंग से सीखने के अवसर दिये जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से यह महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है ताकि वे समानता पाने के लिये संघर्ष कर सकें (महिला समाख्या, 1988)।

4.2.11. अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था :

जो बालिकायें औपचारिक स्कूलों में जाने में असमर्थ हैं उनके लिये उनकी आवश्यकतानुसार व स्थानीय जरूरतों को देखते हुये अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये अथवा स्कूली कलैण्डर व दैनिक कार्यक्रमों को लचीला बनाया जाये। इस लचीलेपन ने बंगलादेश तथा नेपाल की अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा में उत्साहवर्द्धक परिणाम दिखाये हैं।

Scanned by CamScanner

4.2.12. स्थानीय स्तर पर शिक्षा की योजना :

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा मे सुधार के लिये बालिका शिक्षा में बाधक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर अध्ययन करना अति आवश्यक है ताकि उन्हीं के अनुसार समाधान सुयये जा सकें। नई शिक्षा नीति- 1986 (संशोधित 1992) की कार्ययोजना के अनुच्छेद 7.4.2-7.4.6 को कियान्वित करने के लिये चलाई गई जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा योजना (डी0पी0ई0पी0) इस दिशा में किया गया एक नवीनतम प्रयास है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की योजना व रणनीतियां बनाई गई हैं। इन योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन तथा प्रतिधारण बढ़ाना तथा स्कूल छोड़ने की दरों को कम करना है। वर्ल्ड बैंक तथा यूनिसेफ की सहायता से चलने वाली ये योजनायें आरंभ में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के 43 जिलों में चलाई गई हैं। उन्हीं जिलों का चुनाव किया गया है जहां बालिकाओं/ महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है अथवा जहॉं पूर्ण साक्षरता अभियान चलाये जा रहे हैं।

4.2.13. माता-पिता को शिक्षित किया जाये :

राष्ट्रीय स्तर पर किये गये अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जो बालिकायें स्कूल छोड़ देती हैं अथवा स्कूल नहीं जातीं उनमें से अधिकतर के माता पिता अशिक्षित होते हैं। साथ ही शोधों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि शिक्षित माता परिवार के पोषण का व स्वास्थ्य का अधिक अच्छी तरह ध्यान रख सकती है

Scanned by CamScanner

व अपने बच्चों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में विशेष रुचि दिखाती है। अतः प्रौढ़ों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे "पूर्ण साक्षरता अभियान" निरक्षरता उन्मूलन के लिये उत्साहवर्द्धक कार्य कर रहे हैं। ऐसे अभियान तीन सौ से अधिक जिलों मे चलाये जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षो में 9-45 आयु वर्ग के 3 करोड़ व्यक्ति { जिनमें से अधिकांश महिलायें} पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। 40 लाख स्वयंसेवक जिनमें दो तिहाई महिलायें हैं इस महान कार्य में उनकी सहायता कर रहे हैं आठवीं योजना में 345 जिलों में ऐसे अभियान चलाकर 16 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है।

संक्षेप में लड़कियों को शिक्षित करने तथा कम से कम प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिये समन्वित दृष्टिकोण तथा प्रयासों की आवश्यकता ही। उससे पैदा होने का हक न छीना जाये, परिवार में उसके पोषण व स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जाये, शिक्षा के के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था की जाये, समाज में स्त्री का दर्जा सुधारा जाये, लड़कियों की जरुरतों के अनुसार आर्थिक मदद की जाये तथा सरकारी व गैर सरकारी संसथाओं की मदद ली जाये। समुदाय व सरकार यदि मिलकर प्रयास करें तो निः सन्देह प्राथमिक शिक्षा हर बालिका को मिल सकेगी।

Scanned by CamScanner

संदर्भ

1. अमरनाथ दत्त गिरि, "साक्षरता अभियानः परिदृश्य और अपेक्षायें" "योजना" नई दिल्ली, 30 जून 1994.

2. अमरनाथ दत्त गिरि, "एक लड़की हजार जंजाल" राष्ट्रीय सहारा- नई दिल्ली, 1 जनवरी 1994

3. अमरनाथ दत्त गिरि, "बालिकायें उपेक्षित क्यों"- स्वतंत्र भारत, 2 जुलाई 1995.

4. उषा नैयर, (1993 अ) यूनिवर्सल प्राइमरी एजूकेशन आफ रूरल गर्ल्स इन इण्डिया, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली।

5. उषा नैयर, 1993 (ब) "गर्ल्स एण्ड वूमेन्स एजूकेशन इन इण्डिया" कन्ट्री पेपर, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली।

6. के0वी0 पाठक, जुलाई-11, 1994 "फयूचर प्रोस्पैक्टस आफ इण्डियाज पापुलेशन" दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।

7. भारत सरकार, 1992- राष्ट्रीय शिक्षा नीति : कार्य योजना शिक्षा विभाग।

8. भारत सरकार, 1993- सभी के लिये शिक्षाः भारतीय परिदृश्य, शिक्षा विभाग।

9. भारत सरकार, 1988 - उपेक्षित संतान : हमारी बेटियां, महिला और बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ।

Scanned by CamScanner

10. भारत सरकार, 1993- एजूकेशन फार आल : दि इण्डियन सीन, वाइडनिंग होराइजन्स, शिक्षा विभाग।

11. भारत सरकार, 1988- महिला समस्या महिला समानता हेतु शिक्षा, शिक्षा विभाग।

12. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधन और प्रशिक्षण परिषदरु 1993 - यूनेस्को स्पोन्सर्ड हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की लडकियों तथा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रगामी योजना, महिला अध्ययन विभाग।

13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1991- पांचवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण।

14. यूनिसेफ, 1992 - स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट गर्ल्स एजूकेशन।

15. योगेश्वर शर्मा, 18 जुलाई 1993, "वाह बेटी, आह लड़की" जनसत्ता।

16. जनसत्ता, 19 जून 1994, "जहरीले रस से न मरें तो भूख से मार दी जाती हैं कन्यायें" नई दिल्ली।

Scanned by CamScanner